अध्याय

4 शासन और प्रबन्धन

नेतृत्व और शासन उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं को गहनतापूर्वक प्रभावित करते हैं। यद्यपि, सुशासन और प्रबन्धन, स्वयं में उच्च शिक्षा से प्राप्त होने वाले परिणाम नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रयासों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.310) के अनुसार, अनुभवजन्य साक्ष्य इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि बेहतर ढंग से संचालित संस्थान अत्यधिक स्वायत्त हैं। अग्रेतर, इसमें कहा गया है कि वित्त, संगठनात्मक संरचना, संचालन और स्टाफिंग के क्षेत्रों में स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल्याँकन और जवाबदेही की आँतरिक प्रणालियों के अनुरूप होना चाहिए।

शासन के विभिन्न तत्वों और तंत्रों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन और प्रबन्धन की स्थिति का आकलन करने के लिए और किस सीमा तक उन्हें चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य बनाया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या उच्च शिक्षा प्रणाली का शासन और प्रबन्धन पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी था?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना (1995) की गयी, जिसमें मार्च 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नहीं थे। इसके कार्यालय में 14 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पद रिक्त थे। उच्च शिक्षा में विकास के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान तैयार नहीं किया गया था।

- राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। इसके कारण, राज्य में सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन के सम्बन्ध में आँकड़ो का अनुश्रवण और रखरखाव के कार्य नहीं किये गये थे, जिसका असर राज्य में महाविद्यालयों की मान्यता पर पड़ा। राज्य में 7,038 उच्च शिक्षण संस्थानों में से केवल 183 को ही राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग से मान्यता प्राप्त थी।

- शासी निकायों में बहुत से महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे कार्यकारी परिषद, सभा, शैक्षणिक परिषद की सीट खाली थीं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद की स्थापना नहीं की गई थी हालाँकि, इसे लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था लेकिन, वांछित रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

- मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 341 सम्बद्ध महाविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में 171 सम्बद्ध महाविद्यालय थे। इस प्रकार, दोनों विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुसार 100 महाविद्यालयों की वांछित सीमा से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालय थे। लेखापरीक्षा ने महाविद्यालयों व मौजूदा महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता देने में विभिन्न कमियां देखीं। विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायता अनुदान 1,636 दिनों तक के विलम्ब से अवमुक्त किया था। नमूना–जाँच किए गए दोनों विश्वविद्यालय

आत्मनिर्भर नहीं थे, तथापि, सरकार के अनुदान पर विश्वविद्यालयों की निर्भरता कम हो रही थी।

- नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त था।

4.1 परिचय

उच्च शिक्षा के परिणामों की उपलब्धि के प्रयासों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान के शासन और प्रबन्धन की परिकल्पना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारक योगदान करते हैं। महाविद्यालयों की सम्बद्धता, विश्वविद्यालयों पर सम्बद्धता का भार, स्वायत्तता के लिए दिया गया प्रोत्साहन, गुणवत्ता आश्वासन और पर्याप्त वित्त पोषण महत्व प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त और प्रभावी शासन और प्रबन्धन के लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले इसके कारकों, तंत्रों और प्रणालियों के बीच सम्बन्ध को निम्न प्रस्तुति के माध्यम से समझा जा सकता है:

उच्च शिक्षण संस्थान के शासन और प्रबन्धन संरचनाओं की प्रभावशीलता इसकी मान्यता, रैंकिंग पद्धतियों और वित्तीय प्रबन्धन की समझदारी के माध्यम से इसके मूल्याँकन के परिणामों में परिलक्षित होती है।

4.2 शासन

उच्च शिक्षण संस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन संरचनाएं और प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इस खंड में शासन संरचनाओं के अस्तित्व और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है।

4.2.1 राज्य सरकार के स्तर पर शासन

राज्य सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका राज्य की नीतियों/निर्देशों के माध्यम से उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को शासित करना है। यह शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों के लिए स्वीकृति प्रदान करता है और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन को मंजूरी देता है। राज्य सरकार द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है।

4.2.2 राज्य स्तरीय शासन

राज्य स्तर पर शासन के लिए संस्थागत तंत्र में राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना सम्मिलित है। उनकी कार्यप्रणाली से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.2.2.1 *राज्य उच्च शिक्षा परिषद्*

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.308 में कहा गया है कि राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करना वाँछनीय होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए, विश्वविद्यालयों के मध्य संसाधनों को साझा करने, संस्थागत स्तर पर शैक्षणिक और शासन सुधारों का नेतृत्व करने, संस्थानों को वित्त पोषण के लिए सिद्धांत स्थापित करने, उच्च शिक्षा पर डेटा बैंक बनाए रखने और अनुसंधान एवं मूल्यॉकन अध्ययन के संचालन के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये–

(i) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम 1995 के द्वारा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की थी।

(ii) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और ग्यारह अन्य सदस्य होते हैं। नवंबर 2007 में जन–प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में दो उपाध्यक्ष नामित करने के लिए, अधिनियम में संशोधन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् 05 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2020 तक अध्यक्ष के बिना कार्य कर रहा था। उपाध्यक्ष भी राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में नामाँकित नहीं है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के कार्यालय प्रभारी थे, जिसमें 31 मार्च 2020 तक 14 स्वीकृत पदों में से 10[1]पद रिक्त थे।

(iii) राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के कार्य

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित ऐसी 24 तिमाही बैठकों के सापेक्ष वर्ष 2014-20 की अवधि में केवल एक बैठक[2] आयोजित की गई थी।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का मुख्य कार्य समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मानकों का निर्धारण करना था। राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रम तैयार करना, उच्च शिक्षा के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, पाठ्यक्रम विकास में नवाचारों को प्रोत्साहित करना, परीक्षा के मानकों में सुधार के तरीकों को विकसित करना एवं राज्य सरकार को नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्थापना के मानदंडो के बारे में सलाह

[1] कंप्यूटर ऑपरेटर (1), वरिष्ठ सहायक (1), सहायक लेखा अधिकारी (1), सांख्यिकीय सहायक (1), कनिष्ठ लेखा लिपिक (1), निजी सचिव (1), आशुलिपिक (2) और चपरासी (2)

[2] 25 अगस्त 2015

देना, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि को सहायता अनुदान अवमुक्त करना एवं अनुश्रवण करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने मार्च 2020 तक ऐसा कोई पर्सपेक्टिव प्लान तैयार नहीं किया था और न ही उच्च शिक्षा के विकास के लिए नीतिगत निर्णयों पर राज्य सरकार को कोई सलाह दी थी। इसके अलावा, योजना और समन्वय के परिकल्पित कार्य, शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों और वित्तीय कार्यों को भी नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है और अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है।

4.2.2.2 *राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ*

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11(ए) के अनुसार, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहे महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् अपनी प्रमाणन प्रक्रिया में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के अस्तित्व और कार्यप्रणाली को भी महत्व देता है। 'राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों' पर अपने मैनुअल में, यह राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव देता है जिसका उद्देश्य राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करना एवं सम्बन्धित राज्य उच्च शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बीच नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। इसके कारण राज्य में शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन से सम्बन्धित आँकड़ों का अनुश्रवण एवं अनुरक्षण सहित समस्त कार्य नहीं किये गये। इसे राज्य में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कम संख्या से समझा जा सकता है। वर्ष 2019-20 तक, 7,038 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 183 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता प्राप्त थे। जिनमें से 29 उच्च शिक्षा संस्थानों को 'ए' ग्रेड, 127 को 'बी' ग्रेड और 27 को 'सी' ग्रेड प्रदान किया गया।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अनुसार, स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षकों की कमी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मूल्यॉंकन शुल्क के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मूल्यॉंकन में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। परिणामस्वरूप, शिक्षा और सीखने की प्रक्रियाओं को आवश्यक गुणवत्ता आश्वासन नहीं मिल सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

4.2.3 संस्थागत स्तर पर शासन

विश्वविद्यालय स्तर पर शासन एक व्यापक तन्त्र के माध्यम से किया जाता है, जिसमें शासी निकाय, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, सम्बद्धता प्रक्रिया इत्यादि सम्मिलित है। इन निकायों/तंत्रों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.2.3.1 विश्वविद्यालयों में शासी निकाय

विश्वविद्यालय में शासी निकाय के संचालन से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे कि फाईल नोटिंग, बैठक का एजेंडा, बैठकों के कार्यवृत्त आदि की जाँच चयनित विश्वविद्यालयों में की गई थी।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय क्रमशः वर्ष 1921 और वर्ष 1867 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973[3] के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। अधिनियम (खंड 50) के अनुसार महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 1977 में अपना पहला विधिपत्र तैयार किया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 1975 में अपना विधिपत्र तैयार किया था। अधिनियम और विधिपत्र अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न शासी निकायों जैसे सभा, परिषदों, समितियों, बोर्ड, आदि के गठन की व्यवस्था करता है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के पहले कानून में प्रदान की गई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद, सभा, शैक्षणिक परिषद एवं वित्त समिति और अन्य समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2014-20 की अवधि में विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए समय–समय पर उनकी बैठकें आयोजित की गईं। महाविद्यालय विकास परिषद का भी गठन किया गया था। विश्वविद्यालयों में स्थापित शासी निकाय की चर्चा अगले प्रस्तरों में की गई है।

4.2.3.2 कार्यकारी परिषद्

कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालयों में प्रमुख कार्यकारी निकाय है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कुलपति (अध्यक्ष) और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से अन्य सदस्य शामिल हैं। इसकी बैठक हर दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी ।

कार्यकारी परिषदों की बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है ।

तालिका 4.1: कार्यकारी परिषद् की आयोजित की गई बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	6	13/17	10	13/22
2015	7	12/20	11	16/18
2016	5	13/17	12	13/23
2017	5	13/18	6	13/19
2018	4	13/16	6	11/14
2019	2	15/19	6	10/20
कुल	**29**		**51**	

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है :

[3] अधिनियम को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन और संशोधन) अधिनियम, 1974 के तहत फिर से अधिनियमित किया गया था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से 2019 तक कैलेंडर वर्ष की अवधि में होने वाली न्यूनतम 36 बैठकों में से केवल 29 बैठकें ही हुई थीं। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दो से सात बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों में 12 से 20 सदस्यों ने भाग लिया (**तालिका 4.1**)। हालाँकि, पाँच सदस्यों[4] की सीटें जून 2021 तक रिक्त थीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चला कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (1) के तहत अधिसूचित विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद् में चार प्रधानाचार्यों और चार अन्य शिक्षकों के चयन के प्रावधान के सापेक्ष, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने केवल तीन प्रधानाध्यापकों और दो शिक्षकों का प्राविधान किया। इसके कारण, कार्यकारी परिषद् में एक प्रधानाध्यापक व दो शिक्षकों का कम प्रतिनिधित्व रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय

एक वर्ष में कम से कम छः बैठकों की आवश्यकता के सापेक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-19 की अवधि में प्रत्येक वर्ष छः से 12 बैठकें आयोजित की गई थी। हालाँकि, फरवरी 2021 तक आठ सदस्यों[5] की सीट्स रिक्त थीं।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कार्यकारी परिषद् की नियमित बैठकें कोविड–19 के कारण नहीं हुई थीं, लेकिन भविष्य में नियमित रूप से इसका आयोजन किया जाएगा।

4.2.3.3 सभा

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 22 के अनुसार, एक सभा का गठन किया जाना था जिसे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करना था और उसमें निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

- विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना
- विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना
- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना
- कुलाधिपति को ऐसे मामलो में, सलाह देगी जो उसे सलाह के लिए भेजा गया हो, इत्यादि।

सभा में पदेन सदस्य (कुलपति, कार्यकारी परिषद के सदस्य और वित्त अधिकारी), आजीवन सदस्य (अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले सभा और सीनेट के सभी सदस्य), शिक्षकों के प्रतिनिधि, पंजीकृत स्नातकों के सदस्य, छात्रों के प्रतिनिधि, कुलाधिपति के मनोनीत प्रतिनिधि, विधान परिषद् के दो सदस्य और विधान सभा के पाँच सदस्य शामिल होंगे। इसकी बैठकें साल में एक बार होनी थी।

---

[4] पंजीकृत स्नातक से चार निर्वाचित सदस्य और उद्योगपति में से एक सदस्य।

[5] प्रो–वाइस चांसलर का एक पद, ओबीसी श्रेणी का एक प्रोफेसर, वरिष्ठतम वर्ग का एक प्रोफेसर, सभी चार निर्वाचित सदस्य और उद्योगपति में से एक सदस्य।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

विश्वविद्यालय में सभा की स्थापना की गयी थी, तथापि, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के अलावा इसकी गतिविधियों को लेखापरीक्षा में नहीं देखा गया। पंजीकृत स्नातकों के 10 सदस्यों, विधान सभा के पाँच सदस्यों और छात्र प्रतिनिधियों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव था। इस प्रकार, जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित था, सभा द्वारा वर्ष 2014-20 की अवधि में उचित सलाह प्रदान नहीं की गई थी और विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लेखापरीक्षा को बताया गया कि सभा की बैठक जून 2015 और अप्रैल 2016 में हुई थी और वर्ष 2014–2015 की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 के वार्षिक खातों और वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के आय–व्यय खाते पर सभा का संकल्प पारित किया गया था। यद्यपि वर्ष 2017 के बाद (अगस्त 2021) से कोई बैठक नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2021 तक, कार्यपरिषद् के कई सदस्यों के पद अर्थात 24 में से सात कार्यपरिषद् के सदस्य, शिक्षकों में से 15 सदस्यों में से छह, 15 पंजीकृत स्नातकों में से दो, सभी आठ छात्र प्रतिनिधि, और कुलाधिपति के चार नामाँकित व्यक्ति, रिक्त थे। इस प्रकार, सभा में महत्वपूर्ण हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में सभा का गठन और उसके बाद उसकी बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय वर्तमान में सभा की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

4.2.3.4 शैक्षणिक परिषद्

शैक्षणिक परिषद् की भूमिका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से सम्बन्धित मामलों सहित सभी शैक्षणिक मामलों में कार्यकारी परिषद् को सलाह देना है।

शैक्षणिक परिषद् की आयोजित बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है

तालिका 4.2: शैक्षणिक परिषद् की आयोजित की गईं बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	2	60/65	3	33/75
2015	3	49/58	3	40/68
2016	1	64	1	70
2017	3	41/58	2	87/126
2018	2	51/58	2	52/69
2019	1	59	2	44/66

(स्रोत: सम्बन्धित विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् में दिसंबर 2019 तक सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सात सदस्यों (शिक्षकों) और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सभी पाँच सदस्यों की सीट्स रिक्त थीं।

शासन ने बताया (जून 2022) कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सदस्यों और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शैक्षणिक परिषद् में शामिल किया गया है।

फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी सात सदस्यों (शिक्षकों) के तथा शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के सभी पाँच सदस्यों की सीटें दिसम्बर 2019 तक रिक्त थीं।

4.2.3.5 वित्त समिति

वित्त समिति द्वारा कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना था। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय अनुमान विचारार्थ वित्त समिति के समक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि निर्धारित था, वित्त समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थीं।

वित्त समिति की आयोजित बैठकों और बैठकों में भाग लेने वाले न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: वित्त समिति की आयोजित की गईं बैठकें और भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

कैलेंडर वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ		लखनऊ विश्वविद्यालय	
	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम	आयोजित बैठक	सदस्यों ने भाग लिया अधिकतम/न्यूनतम
2014	3	5/5	6	5/7
2015	3	4/6	4	6/8
2016	3	5/6	3	6/7
2017	2	6/6	3	7/8
2018	3	5/5	1	8
2019	2	6/6	2	7/7

(स्रोत : सम्बन्धित विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में प्रत्येक वर्ष दो से तीन बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों में चार से छः सदस्यों ने भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक से छः बैठकें हुईं और पाँच से आठ सदस्यों ने बैठकों में भाग लिया।

4.2.3.6 महाविद्यालय विकास परिषद्

परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं को सम्बद्ध महाविद्यालय तक पहुँचाने और कार्यक्रमों की उचित निगरानी के लिए, प्रत्येक सम्बद्ध विश्वविद्यालय को महाविद्यालय विकास परिषद् के बैकअप के साथ महाविद्यालय विकास के डीन का कार्यालय स्थापित करना था। महाविद्यालय विकास परिषद् को महाविद्यालयों में शिक्षा के प्रचार, समन्वय और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाने थे। महाविद्यालय विकास परिषद् के डीन को सम्बद्ध महाविद्यालयों का भ्रमण करना था, जिससे उन्हें उन तरीकों से अवगत कराया जा सके जिससे महाविद्यालय विकास परिषद् महाविद्यालयों के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, कुलपति और विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, सम्बद्ध महाविद्यालयों के सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य उच्च शिक्षा

परिषद्, राज्य सरकार और कार्यकारी परिषद् के एक प्रतिनिधि महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन करते हैं। रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक को भी महाविद्यालय विकास परिषद् का सदस्य होना था। महाविद्यालय विकास परिषद् को महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013–14 में महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया था। महाविद्यालय विकास परिषद् महाविद्यालयों के एकीकृत विकास के लिए नीति बनाने वाले निकाय के रूप में कार्य करने, शैक्षणिक कार्यक्रमों/शैक्षणिक कैलेंडर की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों को संवितरण के लिए अवमुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान समुचित रूप से और शीघ्रतापूर्वक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए महाविद्यालयों को वितरित किया जाता है, इत्यादि के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सीधे प्राप्त किया जाता है और महाविद्यालय विकास परिषद् को प्राप्त अनुदान के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन नहीं किया गया था, जिसके कारण विश्वविद्यालय अपने परिकल्पित परिणामों के कारण लाभान्वित नहीं हो सका।

4.2.4 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निर्माण और मान्यता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को प्रदर्शन मूल्यॉकन, मूल्यॉकन, मान्यता और गुणवत्ता उन्नयन के लिए, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थान की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद उच्च शिक्षण संस्थान को ग्रेड (ए++, ए+, ए, बी++, बी+, बी, सी और डी) प्रदान करता है।

नीतिगत स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार (प्रस्तर 2.2.3–जी) पर रिपोर्ट में कहा गया है कि गुणवत्ता इनपुट को आंतरिक बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समर्थित योजना के हिस्से के रूप में पूर्ण विकसित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के साथ मजबूत किया जाना है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालय

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना अप्रैल 2010 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मापदंडों को निर्धारित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जमा किया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को सी ग्रेड की मान्यता दी गई थी (नवंबर 2018) जो नवंबर 2023 तक वैध थी।

वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 341 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से केवल 16 (4.7 प्रतिशत) को मान्यता प्रदान की गई थी (ए: 2, बी+:3, बी: 6, सी: 5) शेष 325 महाविद्यालयों

ने मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से संपर्क नहीं किया। नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में जगतपुर पीजी कॉलेज, वाराणसी की मान्यता (ग्रेड बी) वर्ष 2017 में समाप्त हो गई थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि छः नमूना जाँच किए गए शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में से दो (पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय पीजी कॉलेज, चंदौली और राजकीय डिग्री कॉलेज, नौगढ़, चंदौली) में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालय

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय और नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है–

लखनऊ विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन (दिसंबर 2016) कुलपति की अध्यक्षता में किया गया था। प्रत्येक वर्ष आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की एक से दो बैठकें आयोजित की गईं थीं जिनमें सात से आठ सदस्यों[6] ने भाग लिया था। लखनऊ विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त बी ग्रेड मान्यता मई 2019 में समाप्त हो गई थी। निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने कहा कि विश्वविद्यालय मान्यता की प्रक्रिया में था और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना बहुत जल्द प्रस्तुत की जाएगी। मार्च 2020 तक, 171 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से केवल 27 महाविद्यालय (एः7, बीः 18, सीः 2) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता प्राप्त थे। महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज, आशियाना, लखनऊ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2017–18 में किया गया था। गठन के बाद से, इसकी बैठकें हर साल दो बार आयोजित की गईं लेकिन इसने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया। महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महोना, लखनऊ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन 2015–16 में किया गया था। इसके गठन के बाद से, इसकी बैठकें 2019–20 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं, लेकिन इसने भी वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया था।

करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ (एक अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज) में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2015–16 में किया गया था। वर्ष 2017–20 की अवधि में इसकी बैठकें साल में तीन बार आयोजित की गईं और वर्ष 2017–18 में वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जमा किया गया। नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ (एक अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज) में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसकी बैठकें 2014–18 की अवधि में त्रैमासिक आयोजित की गई थीं, लेकिन 2018–19 में इसे बंद कर दिया गया था, और केवल एक बैठक आयोजित की गई थी तथापि, वर्ष 2019–20 की अवधि में आठ बैठकें हुईं। इसने वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय में चार नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से तीन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार नहीं की थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से मूल्यांकन कराने के लिए महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[6] फरवरी 2017 को छोड़कर जब 11 सदस्यों ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लिया।

4.3 सम्बद्धता के माध्यम से शासन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009 एक महाविद्यालय की सम्बद्धता को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के साथ मान्यता, सम्बद्धता और प्रवेश लेने के रूप में परिभाषित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की परिनियामावली और शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के आलोक में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालय की सुविधाओं के निरीक्षण के लिए मानदण्डों की एक चेकलिस्ट तैयार की गयी थी।

नवंबर 2014 में, शासन द्वारा एक आदेश जारी किया कि सम्बद्धता के प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पादित किया जाना था। जब किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा तो विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित तीन सदस्यों की एक निरीक्षण टीम का गठन किया जाना था। निरीक्षण के समय, सम्बद्धता चाहने वाले सम्बन्धित महाविद्यालय चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित हों, सम्बद्धता के लिए पूर्व–निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जैसे भूमि, निधि, पुस्तकालय, किताबें, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम, प्रयोगशाला और मनोरंजन केंद्र आदि की उपलब्धता। समिति द्वारा बताई गई कमियों को महाविद्यालय द्वारा दूर किया जाना था। कमियों को दूर करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त होता है। समिति से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, महाविद्यालय के आवेदन को कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया जाता है। यदि कार्यपरिषद् इस बात से सहमत है कि सम्बद्धता नियमों और आदेशों के अनुरूप है तो उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अंततः महाविद्यालयों को दी गई सम्बद्धता के नियमों और शर्तों को दर्शाने वाला एक पत्र जारी किया जाता है।

मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के पास क्रमशः पूर्वी उत्तर प्रदेश के पाँच जनपदों और लखनऊ जनपद में 341 और 171 सम्बद्ध महाविद्यालय थे। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने एक सरकारी महाविद्यालय और 205 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय ने 58 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया। वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में महाविद्यालयों की वर्षवार संख्या, सम्बद्ध किए गए महाविद्यालयों की संख्या और वर्ष 2014–20 की अवधि में बंद हुए महाविद्यालयों की संख्या एवं वर्ष 2019–20 के अंत में सम्बद्ध महाविद्यालयों की कुल संख्या **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4 वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या

(आँकड़े संख्या में)

विश्वविद्यालय	वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2014–20[7] की अवधि में बन्द हुए महाविद्यालयों की संख्या			वर्ष 2019–20 के अन्त में कुल महाविद्यालयों की संख्या			
	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	शासकीय सहायता प्राप्त महा विद्यालय	स्ववित्त पोषित महा विद्यालय	योग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	19	23	229	01	0	205	01	10	125	19	13	309	341
लखनऊ विश्वविद्यालय	04	20	102	0	0	58	0	0	13	04	20	147	171

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

[7] एक शासकीय महाविद्यालय, 10 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 107 स्व–वित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय जो जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया स्थानान्तरित हुए।

नवीन एवं विद्यमान महाविद्यालयों में विषयों की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा वर्ष 2014–20 की अवधि में स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या **तालिका 4.5** में दी गई है।

तालिका 4.5 प्राप्त आवेदनों की संख्या और स्वीकृत आवेदनों की संख्या।

(आँकड़े संख्या में)

विश्वविद्यालय	सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			अनुमोदित किए गए आवेदन प्रत्रों की संख्या
	नये महाविद्यालयों में विषयों हेतु	विद्यमान महाविद्यालयों में विषयों हेतु	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	189	941	1,130	1,091
लखनऊ विश्वविद्यालय	59	143	202	202

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

(1) सम्बद्धता मानदंडों का पालन न करना

शासकीय महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा लागू पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश करने के लिए गठित निरीक्षण टीमों ने लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 28 स्व–वित्तपोषित कालेजों में से 18 में पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश की जबकि प्रश्नगत कालेज सम्बद्धता के लिए निर्धारित चार से 29 प्रतिशत मानदंड (28 बिन्दुओं की चेकलिस्ट) को पूरा नहीं करते थे (***परिशिष्ट 4.1***)। अग्रेतर, छः शासकीय महाविद्यालयों को कई मानदण्डों की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार के महाविद्यालय के रूप में सम्बद्धता की मंजूरी दी गई (***परिशिष्ट 4.2***)। सम्बद्धता की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदंडों में इस प्रकार की छूट इन महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

(2) अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के बिना अस्थायी सम्बद्धता को विस्तार

नए पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को मंजूरी देने से पहले अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

सकलडीहा पीजी कालेज, सकलडीहा, चन्दौली में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र और अंग्रेजी के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु बुनियादी ढाँचे के निरीक्षण के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा एक दल का गठन (जून 2017) किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉलेज में पहले से ही एक कमरे की कमी थी। तथापि, निरीक्षण दल ने कक्षों की कमी[8] के बावजूद आवेदित दोनों पाठ्यक्रमों को अस्थायी रूप से सम्बद्ध करने की अनुशंसा की (जून 2017) जिसके आधार पर कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता की स्वीकृति (जून 2017) प्रदान कर दी गयी थी। इस प्रकार, अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित किए बिना निरीक्षण दल ने दो नए पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की सिफारिश की।

लखनऊ विश्वविद्यालय

वर्ष 2015–16 से डॉ. आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0ए0 के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई सम्बद्धता दी गई थी। स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए गठित

[8] 18 के सापेक्ष 15 कक्ष उपलब्ध थे।

समिति की एक निरीक्षण रिपोर्ट (मई 2019) ने विभिन्न कमियों को इंगित किया, यथा, महाविद्यालय में केवल तीन व्याख्यान कक्ष थे, जबकि बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक छः कमरे होने चाहिए थे तथा पिछले तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम उपलब्ध नहीं थे। महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करते समय, भवन मानचित्रों की अनुपलब्धता, विभागाध्यक्ष के लिए उचित कार्यालय न होना, अग्निशामक उपाय न होना, पुस्तकालय की सुविधा अद्यतन नहीं थी, प्रयोगशालाओं में वाश एरिया/बेसिन न होना, गृह विज्ञान के लिए कोई खाना पकाने का क्षेत्र नहीं था, मनोविज्ञान की लैब सुसज्जित नहीं थी और लड़के और लड़कियों के कॉमन रूम अस्त–व्यस्त थे। इन कारणों से, अनुशंसित स्थायी सम्बद्धता नहीं दी गई थी, परन्तु कुलपति द्वारा महाविद्यालय प्रबन्धन के अनुरोध पर (जून 2019) वर्ष 2019–20 के लिए अस्थायी सम्बद्धता का विस्तार (जून 2019) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में शर्तों को पूरा किए बिना कर दिया गया था। इस प्रकार, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद महाविद्यालय वर्ष 2015–16 से अस्थायी सम्बद्धता के साथ चल रहा था। अग्रेतर, इस महाविद्यालय को सभी कमियों को दूर कर 31 दिसंबर 2019 तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तथापि, लेखापरीक्षा (जून 2020) तक स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इस प्रकार, महाविद्यालय द्वारा कमियों के सुधार को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

(3) शिक्षकों को सुनिश्चित किए बिना अस्थायी सम्बद्धता का विस्तार

शासन द्वारा यह स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) गया था कि शिक्षकों का चयन एवं अनुमोदन सम्बद्धता की स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

शासन ने जगतपुर पीजी कॉलेज, जगतपुर, वाराणसी में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य और गृह विज्ञान के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान (अक्टूबर 2012) किया था कि उक्त विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की प्रक्रिया एक माह के अन्दर पूरी कर ली जाएगी। दो साल के लिए सम्बद्धता जुलाई 2012 से प्रभावी बताते हुए प्रदान कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा शिक्षकों की आवश्यक संख्या को सुनिश्चित किए बिना, अप्रैल 2014 में महाविद्यालय की सम्बद्धता के विस्तार के लिए शासन को आवेदन अग्रेषित कर दिया गया। तथापि, यह उल्लेखित कर दिया गया था कि महाविद्यालय ने इस विषय के लिए आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। इसके बावजूद, शासन ने शैक्षणिक वर्ष 2014–15 हेतु उक्त पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता को इस शर्त के साथ बढ़ा दिया (जून 2014) कि कक्षाएं शुरू होने से पहले महाविद्यालय द्वारा कमियों को ठीक कर लिया जायेगा और विश्वविद्यालय को इस तरह के सुधार के सभी अभिलेख एक माह के भीतर उपलब्ध करा देगा। हालाँकि, महाविद्यालय ने छः माह के अंदर शिक्षकों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय को एक हलफनामा प्रस्तुत किया (सितंबर 2014) लेकिन, चयन सितंबर 2015 में किया गया। इस बीच वर्ष 2013–15 की अवधि में प्रश्नगत महाविद्यालय से एम0कॉम0 के 323 छात्र और गृह विज्ञान के 207 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता के बिना ही 530 छात्र उत्तीर्ण हुये थे। इस संदर्भ में, महाविद्यालय ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के शिक्षक प्रश्नगत दोनों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं ले रहे थे, तथापि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने अवगत कराया (अगस्त 2021) कि केवल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक ही स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कक्षाएं ले सकते थे। इस प्रकार, न तो महाविद्यालय और न ही विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

(4) स्थायी सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं किया गया

- सम्बद्धता की शर्त (अगस्त 2001) के अनुसार, महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी महाविद्यालय, लखनऊ से बी0ए0 पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय को प्रत्येक विषय में द्वितीय वर्ष के लिए कम से कम एक अतिरिक्त व्याख्याता तथा तीसरे वर्ष के लिए भी प्रत्येक विषय में एक अतिरिक्त व्याख्याता की नियुक्ति करनी थी। तथापि, इन शर्तों को पूरा किए बिना, महाविद्यालय को वर्ष 2015 में बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि 30 व्याख्याताओं की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 20 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए गए थे और दो स्वीकृत पद वर्ष 2019–20 से रिक्त थे।

- महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना, लखनऊ को वर्ष 2015 में सात बी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 व्याख्याताओं की आवश्यकता के विरूद्ध 2016 में केवल छः व्याख्याताओं को पदस्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018–20 में कम करके पाँच व्याख्याता कर दिए गए थे।

(5) महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (6) में प्राविधान है कि कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण समय–समय पर, जोकि पाँच साल की अवधि से अधिक ना हो, के अन्तराल पर, उसके द्वारा अधिकृत एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा करवाएगी, और एक निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जाएगी। इसके अलावा, परिनियामावली के प्रस्तर 12(क)–22 के अनुसार प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र अग्रेषित करना था कि वह सम्बद्धता की शर्तों को पूरी कर रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा निरीक्षण दल का गठन नहीं किया गया था, जिसके कारण कार्यपरिषद् को अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के बारे में अवगत नहीं कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता की वैधता अवधि के प्रत्येक वर्ष में सुनिश्चित की जा रही सम्बद्धता की आवश्यकताओं की पुष्टि करने का प्रमाण–पत्र भी 2014–20 की अवधि में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नही कराया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् ने महाविद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए एक समिति गठित करने और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। तथापि, निरीक्षण समिति गठित नहीं होने के कारण वर्ष 2014–20 की अवधि में महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नियमित अनुरक्षण, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं आधारभूत सुविधाओं के बारे में कार्यपरिषद् को अवगत नहीं कराया गया।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जैसा कि उपरोक्त चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किये गये दोनों विश्वविद्यालयों में सम्बद्धता प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की कमियाँ पायी गयी, जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता थी।

4.4 विश्वविद्यालयों पर बोझ कम करना

'उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.15 (सी) के अनुसार, महाविद्यालयों की अत्यधिक सम्बद्धता के बोझ से विश्वविद्यालयों को मुक्त करने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के प्रभावी संरचनात्मक आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। अधिनियमों के संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच कुशल शासन और जवाबदेही के साथ प्रभावी स्वायत्तता की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय में 50 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालय नहीं होने चाहिए जिनमें कुल नामांकन 50,000 छात्रों से अधिक न हो।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशों के अध्याय 6 के अन्तर्गत शासन और प्रशासनिक सुधारों के अनुसार एक विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 100 तक सीमित होनी चाहिए। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.6 महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या

विश्वविद्यालय का नाम	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–.20
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	310	367	301	318	324	341
लखनऊ विश्वविद्यालय	144	151	160	170	167	171

(स्रोत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 तक पिछले पाँच वर्षों के भीतर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की संख्या में क्रमशः 10 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

समापन गोष्ठी (15 जुलाई 2022) में शासन ने बताया कि अब स्थिति में सुधार हुआ है। पहले एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक थी। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या एक विश्वविद्यालय के साथ 100 महाविद्यालयों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मानदंडों से अधिक थी।

4.5 शिक्षणेत्तर कर्मचारी

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त शिक्षणेत्तर पदों की स्थिति **तालिका 4.7** में दी गयी है।

तालिका 4.7 : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2019–20 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	460	244	216	47
लखनऊ विश्वविद्यालय	1,381	1,002	379	27

(स्रोत– महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 47 प्रतिशत (460 स्वीकृत पदो के विरूद्व 216) पद रिक्त थे। नमूना जाँच में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 37 प्रतिशत (स्वीकृत 102 पदों में से 38) पद वर्ष 2019–20 की अवधि में ***(परिशिष्ट 4.3)*** रिक्त थे।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) कर्मियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है जिसके लिए 847 कर्मचारियों की भर्ती के लिए डोजियर आयोग को भेज दिया गया है।

4.6 वित्तीय प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश शासन राज्य के बजट से महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान सहायता के रूप में धनराशि प्रदान करता है। राज्य के बजट के अलावा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ऐसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होती है। विश्वविद्यालयों द्वारा स्व–वित्त पाठ्यक्रमों की फीस भी प्राप्त की जाती है।

4.6.1 राज्य बजट के अन्तर्गत निधि

वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य में उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय ₹ 13,847.97 करोड़ था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि राज्य के कुल व्यय की तुलना में इस पर व्यय 0.56 (2015–16) से 0.76 प्रतिशत (वर्ष 2014–15) के बीच था। वर्ष 2019–20 में यह व्यय (₹ 2.676.02 करोड) राज्य के कुल व्यय का 0.67 प्रतिशत था।

वर्ष 2014–2020 की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग पर वर्षवार बजट प्राविधान एवं वास्तविक व्यय **तालिका 4.8** में दिया गया है।

तलिका 4.8 : वर्ष 2014–20 की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग का वर्षवार बजट प्राविधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल व्यय	शिक्षा विभाग का कुल बजट प्राविधान (उच्च शिक्षा)	वास्तविक व्यय (राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत)	राज्य का जी. एस.डी.पी.	उच्च शिक्षा पर कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत में
2014–15	2,51,804.43	2,406.95	1,914.79 (0.76)	10,11,790	0.19
2015–16	3,18,412.23	2,388.83	1,795.19 (0.56)	11,37,808	0.16
2016–17	3,49,232.60	2,947.51	2,429.39 (0.70)	12,88,700	0.19
2017–18	3,34,876.62	2,655.81	2,120.44 (0.63)	14,16,006	0.15
2018–19	4,09,784.50	3,806.20	2,912.14 (0.71)	15,84,764	0.18
2019–20	3,99,426.75	3,093.65	2,676.02 (0.67)	16,87,818	0.16
योग	**20,63,537.13**	**17,298.95**	**13,847.97(0.67)**		

(स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

उपरोक्त **तालिका 4.8** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में उच्च शिक्षा पर बजट प्राविधान का 80 प्रतिशत उपयोग किया गया था। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में ₹ 13,848.00 करोड़ व्यय किया गया जो राज्य के कुल व्यय का

0.56 प्रतिशत (2015–16) और 0.76 प्रतिशत (वर्ष 2014–15) के बीच था। यह व्यय वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य के जीएसडीपी का 0.15 प्रतिशत से 0.19 प्रतिशत था।

4.6.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत निधि

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सितम्बर 2013 में प्रारम्भ हुआ जिसका उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाना था जिससे गतिशील, माँग संचालित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, कुशल एवं अग्रगामी और स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित आर्थिक और तकनीकी विकास के प्रति वो उत्तरदायी बन सके। इस योजना में राज्य के केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है जिसमें मुक्त विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा आदि से सम्बन्धित संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस योजना के लिए केन्द्र–राज्य वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में है।

4.6.3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अवमुक्त निधि

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना निदेशक को प्राप्त निधियाँ और उक्त निधियों को राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों को जारी किये जाने की स्थिति **तालिका 4.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.9 राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों को निर्गत की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को अवमुक्त की गई निधि			राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना द्वारा अवमुक्त की गई निधि			
				राज्य विश्वविद्यालयों को अवमुक्त की गई निधि		सरकारी विद्यालयों को अवमुक्त की गई निधि	
	भारत सरकार अंश	राज्य का अंश	कुल	अवमुक्त की गई निधि	उपभोग की गई निधि	अवमुक्त की गई निधि	उपभोग की गई निधि
2014-15	25.86	13.93	39.79	19.29	19.29	20.50	20.50
2015-16	1.54	0.83	2.37	0.37	0.37	2.00	2.00
2016-17	71.97	28.79	100.76	54.91	54.91	45.85	45.85
2017-18	73.36	4.00	77.36	50.04	50.04	27.32	27.32
2018-19	2.14	68.77	70.91	42.09	42.09	28.82	28.82
2019-20	46.33	29.57	75.90	45.68	20.90	30.22	25.50
योग	**221.20**	**145.89**	**367.09**	**212.38**	**187.60**	**154.71**	**149.99**

(स्रोतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यालय, लखनऊ)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के अंश से प्राप्त धनराशि, राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को बहुत विलम्ब से अवमुक्त की गई थी। विलम्ब के विवरण पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

4.6.4 राज्य सरकार द्वारा निधियाँ अवमुक्त करने में विलम्ब

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, अपने अंश के साथ–साथ, केन्द्रीय अंश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद (यहाँ राज्य

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के समर्पित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बचत बैंक खाते में योगदान कर देना चाहिये।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को केन्द्रीय अंश सहित अपने राज्य के अंश को 1,636 दिनों तक के विलम्ब से जारी किया। अवमुक्त धनराशि का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधि जारी करने में विलम्ब

वर्ष	केन्द्रांश		राज्य द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश सहित		अनुदान अवमुक्त करने में विलम्ब (दिनों में)
	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	राज्य सरकार को अनुदान अवमुक्त करने की तिथि	धनराशि *(₹ करोड़ में)*	राज्य परियोजना निदेशक को अवमुक्त करने की तिथि	
2014-15	26.00	06.01.2015	40.08	09.03.2015 से 16.07.2019	46 से 1636
	3.25	04.02.2015	5.01	10.03.2015 से 05.11.2015	18 से 258
2016-17	115.78	07.09.2016	165.75	10.11.2016 से 4.10.2017	48 से 376
2017-18	6.00	21.12.2017	10.00	12.03.2018	65
	95.43	28.02.2018	188.95	27.03.2018 से 26.08.2019	11 से 528
2019-20	57.13	16.05.2019	91.96	29.07.2019	58
	5.88	30.08.2019	9.89	26.12.2019	102
	4.20	27.09.2019	5.29	11.03.2020 से 30.03.2020	150 से 169

(स्रोत : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यालय)

इस प्रकार, शासन ने राज्यांश सहित भारत सरकार के अंश को अवमुक्त करने के लिये निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि राज्य का अंश राज्य के बजट में आवंटन करने के बाद अवमुक्त किया जा रहा था। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में कहा गया कि निष्पादन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में समय लगा।

4.6.5 विश्वविद्यालय संसाधन

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने द्वारा अर्जित राजस्व से अपने खर्च को पूरा करने के लिये आत्मनिर्भर नहीं है। वर्ष 2014–20 की अवधि में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय की कुल प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 531.56 करोड़ और ₹ 1,358.78 करोड़ थीं। इनमें से, वर्ष 2014–20 की अवधि की अवधि में शासन ने महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ को ₹ 118.65 करोड़ (22 प्रतिशत) और लखनऊ विश्वविद्यालय को ₹ 357.10 करोड़ (26 प्रतिशत) प्रदान किया।

वर्ष 2014–20 की अवधि की अवधि में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध निधियों, व्यय किये गये धनराशि और अव्ययित निधियों का वर्षवार विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: प्राप्त निधियाँ, व्यय और अव्ययित निधियाँ वर्ष 2014–20

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	आरम्भिक अवशेष	अवमुक्त धनराशि					कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि (प्रतिशत)
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	निजी आय	अन्य स्रोत	अर्जित ब्याज			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	96.95	118.65	30.53	344.57	20.39	17.42	628.50	432.57	195.94 (31)
लखनऊ विश्वविद्यालय	100.28	357.10	122.13	579.65	263.22	36.68	1,459.06	1,286.49	172.57 (12)

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

4.6.6 सरकारी अनुदानों पर निर्भरता

वर्ष 2014–15 और वर्ष 2019–20 में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी अनुदान से व्यय और कुल व्यय **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12: वर्ष 2014–15 और वर्ष 2019–20 की अवधि में सरकारी अनुदानों पर निर्भरता

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	2014–15		2019–20	
	कुल व्यय	शासकीय अनुदान से कुल व्यय का (प्रतिशत में)	कुल व्यय	शासकीय अनुदान से कुल व्यय का (प्रतिशत में)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	56.07	17.26 (31)	80.07	15.91 (20)
लखनऊ विश्वविद्यालय	162.84	44.54 (27)	223.70	49.92 (22)

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

जैसा कि **तालिका 4.12** से स्पष्ट है, सरकारी अनुदानों पर विश्वविद्यालयों की निर्भरता कम हो रही थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि राज्य विश्वविद्यालयों के अपने स्रोत हैं, जैसे प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क। शासन विश्वविद्यालयों को सीमित धनराशि प्रदान करता है।

4.6.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाना है। शासनादेश (मार्च 2015) के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधि पर अर्जित ब्याज को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय के बैंक खाते में जमा/हस्तांतरित किया जाना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि क्रमशः ₹ 76.78 लाख और ₹ 75.68 लाख राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय के बैंक खाते में स्थानान्तरित नहीं की गई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा में उठाए गये विषय पर उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2022)।

4.6.8 वार्षिक लेखाओं का रख–रखाव

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का प्रस्तर–55 विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा तैयार करने और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का प्राविधान करता है, जो उसकी लेखापरीक्षा करवाएगा। अक्टूबर 2019 से विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 तक लेखापरीक्षा की गयी थी। दोनों विश्वविद्यालयों ने अपने अधिनियमों में लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में संशोधन (मई 2022) नहीं किया है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने 54 बैंक खाते[9] बना रखे थे, लेकिन वर्ष 2014–19 की अवधि के लिये महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा वार्षिक खाते तैयार नहीं थे। लेखा परीक्षा के बाद, यद्यपि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इन वार्षिक खातों को वर्ष 2020 में तैयार किया लेकिन कार्य परिषद्, सभा और शासन को प्रस्तुत नहीं किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोद्भवन (एक्रूअल) आधार पर तीन अलग–अलग वार्षिक खाते (बैंलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते और आय–व्यय खाते) रखता है और जनरल फंड्स, कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के लिये एक समेकित खाता रखता है। तथापि, वर्ष 2014–20 की अवधि में वार्षिक लेखों को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने में प्रत्येक वर्ष विलम्ब किया गया था और राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये थे जैसा कि **तालिका 4.13** में वर्णित है।

तालिका 4.13: वार्षिक लेखों का वर्ष और लेखा तैयार करने की तिथि

वर्ष	लेखों का वर्ष	लेखे तैयार करने की नियत तिथि	लेखे तैयार करने की वास्तविक तिथि	लेखे तैयार करने में विलम्ब (माह में)
1	2014-15	जून 2015	09.03.2016	8
2	2015-16	जून 2016	17.03.2017	8
3	2016-17	जून 2017	24.03.2018	8
4	2017-18	जून 2018	29.03.2019	8
5	2018-19	जून 2019	09.05.2020	10
6	2019-20	जून 2020	अप्राप्त	अप्राप्त

(स्रोत : लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया (जुलाई 2022) कि बैंक खातों की संख्या 54 से घटाकर 22 कर दी गई है और वार्षिक खातों पर कार्यपरिषद् की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। यह भी कहा गया कि राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं और वे अपने स्तर पर आवंटित धन का उपयोग करते हैं और अपने वार्षिक खातों का रखरखाव करते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी समय.समय पर निधियों के उपयोग की समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[9] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये तीन बैंक खाते, सामान्य निधि के लिये 13 बैंक खाते, राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये तीन बैंक खाते और स्व–वित्त पाठ्यक्रमों के लिये 35 बैंक खाते।

4.6.9 असमायोजित अग्रिम भुगतान

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एकाउण्ट कोड खंड–IV में निहित प्राविधानों के अनुसार विभाग के प्रमुख/आहरण और संवितरण अधिकारी का कर्तव्य था कि यह सुनिश्चित किया जाये की अस्थायी अग्रिमों का लेखा जल्द से जल्द प्रतिपादित किया जाये तथा यदि कोई अवशेष हो, जिसके लिए अस्थायी अग्रिम आहरित किए गए थे, उसे क्रय को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात तुरंत वापस किया जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शेष अस्थायी अग्रिम वर्ष 2014–15 के अंत में ₹ 26.75 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2019–20 में ₹ 54.58 करोड़ हो गया था।

मार्च 2020 के अंत में लखनऊ विश्वविद्यालय में शेष अस्थायी अग्रिम ₹ 22.59 करोड़ था। वर्ष 2009 से बहुत पहले से शेष अग्रिमों में भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, सॉफ्टवेयर विकास और एसएफसी इत्यादि के लिए अग्रिम सम्मिलित थे।

शासन बताया (जुलाई 2022) कि नवंबर 2018 और जनवरी 2022 में इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा बताया गया कि शेष अग्रिमों को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019–20 में ₹ 54.58 करोड़ के अग्रिम को मार्च 2022 तक घटाकर ₹ 48.22 करोड़ कर दिया गया है और वर्ष 2022–23 की अवधि में इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.6.10 वित्तीय प्रबन्धन को नियंत्रित करना

वित्तीय प्रबन्धन को नियंत्रित करने से तात्पर्य है कि एक संगठन किस तरह से वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, प्रबन्धन करता है, अनुश्रवण करता है एवं उसे नियंत्रित करता है और इसमें, वित्तीय लेनदेन पर नजर रखना, निष्पादन का प्रबन्धन, डेटा नियंत्रण एवं अनुपालन, संचालन सम्मिलित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

4.6.10.1 रोकड़ बही

लखनऊ विश्वविद्यालय के माह मार्च 2019 के सामान्य निधि खाते की रोकड़ बही की संवीक्षा में रोकड़ बही के रखरखाव में निम्न विसंगतियां पायी गयीं–

- लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राप्तियों की प्रविष्टियाँ इसकी रोकड़ बही में नहीं की गई थी जिसके कारण सामान्य निधि बैंक खातों में क्रेडिट के स्रोत और बैंक खातों में शेष राशि के साथ उनका मिलान लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

- रोकड़ बही में भुगतानों की प्रविष्टियाँ, चेक नंबर/नकद भुगतान एवं भुगतान के अन्य विवरणों की संगत प्रविष्टियों के बिना लिखी गई थीं। जिसके कारण रोकड़ बही के माध्यम से जारी किए गए चेकों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- लेखापरीक्षा की नमूना जाँच अवधि (2014–19) में, लखनऊ विश्वविद्यालय में रखी गई रोकड़ बहियाँ न तो दैनिक/मासिक रूप से बंद की गई थीं और न ही कैशियर द्वारा हस्ताक्षरित या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गई थी। रोकड़ बही में माह के अंत में प्राप्तियों, व्यय एवं शेष के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र नहीं लिखा गया था। जिसके कारण रोकड़ बही में प्रविष्टियों की प्रमाणिकता एवं शेष राशि की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

- लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में एक वर्ष में तीन से सात बैंक खातों को जोड़कर अभी तक 46 से 74 बैंक खातों[10] का रखरखाव किया गया था एवं मासिक लेनदेन पूरा होने के बाद इन बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म[11] को नियुक्त किया था जिसने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 11 से 23 महीने की देरी से मासिक समाधान विवरण तैयार किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के यूको बैंक शाखा में परीक्षा निधि बैंक खाता संख्या 00600200000149 से वर्ष 2017–19 (दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2019) की अवधि में ₹ 1.40 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.4)*** के धोखाधड़ी के 14 प्रकरण विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2019 में बैंक समाधान तैयार करने के बाद ही देखे गए थे और एक प्राथमिकी (संख्या 0481, अक्टूबर 2019) दर्ज की गई थी। इन कपटपूर्ण आहरणों का प्रबन्धन, विश्वविद्यालय को जारी किए गए चेकों का क्लोन बनाकर किया गया था।

उपरोक्त वर्णित रोकड़ बही के लेखन में कई कमियों के साथ–साथ बैंक शेष का समय पर समाधान करने में विफलता के कारण इन कपटपूर्ण आहरणों का समय पर पता लगाने में विफलता हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि उक्त धनराशि यूको बैंक द्वारा विश्वविद्यालय के बैंक खाते में फिर से जमा कर दी गई है (जून 2020)।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि विश्वविद्यालय स्तर पर आहरण, उपभोग और भुगतान किया जाता है यद्यपि, शासन द्वारा समय–समय पर उनकी समीक्षा की गयी। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में कहा गया कि बैंक खातों की संख्या अब कम कर दी गई है और विश्वविद्यालय द्वारा अब बैंक समाधान तैयार किया जा रहा है।

4.7 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा

शासन ने विश्वविद्यालयों को नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था (अक्टूबर 2019)। तथापि, नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त था। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण कमजोर रहा।

समापन बैठक (जुलाई 2022) में विशेष सचिव ने विश्वविद्यालयों द्वारा कर्मचारियों को रोकड़ बही के रखरखाव का प्रशिक्षण देने की सलाह दी।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च शिक्षा प्रणाली का शासन एवं प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था और निधि अवमुक्त करने में देरी, बड़ी संख्या में रिक्तयों एवं अयोग्य संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने से प्रभावित था। राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए की गई थी, जिसमें मार्च 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नहीं थे। इस कार्यालय के 14 स्वीकृत पदों में से 10 पद रिक्त थे। राज्य में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियाँ थीं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो गयी थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना नहीं की गयी थी। यद्यपि, यह लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, परन्तु वाँछित रूप में कार्य नहीं कर रहा था। महाविद्यालयों को बिना मानदंडों को पूरा किये सम्बद्धता दी गयी थी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सम्बद्ध

[10] 2014–15: 46, 2015–16: 49, 2016–17: 63, 2017–18: 67, 2018–19: 74 एवं 2019–20: 67
[11] मे0 हबीबुल्लाह एण्ड कं0

महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विकास के लिए केंद्रीय अंश सहित अपना अंश 1,636 दिनों की देरी से अवमुक्त किया। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में लेखापरीक्षकों का स्वीकृत पद रिक्त होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्य नहीं कर रही थी।

अनुशंसा 11: राज्य एवं विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

अनुशंसा 12: विश्वविद्यालयों को सम्बद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए जिससे केवल सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करने वाले महाविद्यालयों को ही सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो।

(बिजय कुमार मोहन्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज
दिनांक 25 नवम्बर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 6 दिसम्बर DEC 2022